न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 99/11
दायरा दिनांक 05.09.2011
निर्णय दिनांक 01.08.2019

बउनवान

1. राधेश्याम पुत्र श्योराम जाति मीणा निवासी रामबिलास तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. कमला बाई पुत्री श्योराम पत्नी रामलाल जाति मीणा निवासी छत्रगंज तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
2. कन्या बाई पुत्री श्योराम पत्नी रामसिंह जाति मीणा निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
3. द्रोपदी बाई पुत्री श्योराम पत्नी मोहनलाल मीणा निवासी छत्रगंज तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–01.08.2019

वादी की ओर से वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट में अभिभाषक श्री सतीश शर्मा ने इस आशय का पेश किया कि

यह कि ग्राम रामबिलास पटवार हल्का छत्रगंज तहसील किशनगंज मे खाता सं0 नई 91 पुरानी 81 ख0न0 544/ 35.00, 545/ 4.00, 615/ 0.15, 631/ 1,02, 601/ 10. 17, 620/ 3.03, 671/ 19.01 कुल 7 किता की 74 बीघा 01 बिस्वा स्थित है जिसको वाद पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

1 यह कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार पूर्व मे श्योराम लोटूलाल जाति मीणा निवासी रामबिलास था। एवं वादी की उक्त आराजी अपने पिता श्योराम को प्राप्त हुई है।

2. यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के पिता श्योराम की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने के बाद हुई है। श्योराम को मरे हुये करीबन 12 वर्ष हो चुके है। श्येाराम की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी का नामन्तकरण सं0 763 राजस्व अधिकारियों ने बिना जॉच पडताल किये खोलकर तस्दीक कर दिया और प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का नाम वादी के साथ संयुक्त रूप से अंकित कर दिया।

3. यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 जाति से मीणा है और इन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नही होता है क्योकि मीणा जाति अनुसूचित जन

जाति के अन्तर्गत आती है इसलिये श्योराम की मृत्यु के पश्चात जो नामांतरण सं0 763 राजस्व अधिकारियों ने खोलकर तस्दीक किया है वह प्रारम्भ से ही नल एण्ड पेाईड है इसलिए उपरोक्त आराजी नामान्तकरण 763 को निरस्त करवाकर सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 1 एवं 3 का नाम हटवाने का अधिकारी है।

4. यह कि प्रतिवादी क्रम 1,2 व 3 की जाति मीणा है और मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 व 2 व 3 का वादग्रस्त आराजी मे कोई स्वत्व अथवा अधिकार नही हैं। श्योराम के मरने के पश्चात वादग्रस्त आराजी पुराने हिन्दू ला के मुल्ला के पन्द्रह वे संस्करण के पृष्ठ 118 से लेकर 132 तक के प्रावधान प्रासंगिक है इसमे दी गई धारा 43 के प्रावधानो से स्पष्ट है कि किसी हिन्दू पुरूष की मृत्यु पर उसके सपिण्डा वादग्रस्त आराजी का विरासत मे प्राप्त करेगें। प्रतिवादी क्रम 1,2 व 3 श्योराम की पुत्रियां होने के कारण हिन्दू लॉ के उक्त प्रावधानो अधीन श्योराम की मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी की भूमि मे विरासत पाने के अधिकारीणी नही है। ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त आराजी मे से वादी प्रतिवादी क्रम 1,2 व 3 का राजस्व रिकॉर्ड से नाम हटवाने और नामांतरण सं0 763 को निरस्त करवाकर वादी अपने आप को वादग्रस्त आराजी का तनहा खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है।

5. यह कि अवैध नामांतरण सं0 763 की आढ़ मे प्रतिवादी क्रम 1,2 व 3 का नाम चालू राजस्व रिकॉर्ड मे इस अवैध अंकन की आढ मे प्रतिवादी क्रम 1,2 व 3 वादग्रस्त आराजी मे मदाखलत व मजामहत पैदा करती है और अपने नाम अंकित हिस्से को रहन बेचान करने पर आमादा है। जिसका कि प्रतिवादी क्रम 1,2, व 3 की कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी को वादी शांतीपूर्ण काबिल काश्त कर रहा है अब अपने वर्तमान का भरण पोषण कर रहा है। छोटा बाई पत्नी श्योराम का स्वर्गवास करीबन 12 वर्ष पूर्ण हो चुका है इसलिए वादी छोटा बाई का नाम खाते से हटवाने का अधिकारी है।

6. यह कि प्रतिवादी क्रम 1,2,,व 3 उनके नाम चालू राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से को रहन बेचान करने हेतु वादी को बेदखल करने हेतु दिनांक 25.07.2011 को धमकी दी है कि इसी कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

7. यह कि प्रतिवादी क्रम 4 उपरोक्त आराजी का सुप्रीम लेण्ड होल्डर है जिसको वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी क्रम 4 को विधिक नोटिस जर्ये रजिस्टर्ड पोस्ट दिनांक 04.08.2011 को दिया जा चुका है। लेकिन विधिक नोटिस 2 माह पूर्ण होने से पूर्व प्रतिवादी क्रम 1,2, व 3 वादग्रस्त आराजी मे से उनके नाम दर्ज हिस्से को रहन बेचान कर सकती है। इसलिए वाद अर्जेन्ट एवं इमिजेट नेचर का होने के कारण नोटिस की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पेश किया है प्रार्थना पत्र 80''2'' सीपीसी वादपत्र के साथ संलग्न है।

8. यह कि वाद उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

9. यह कि माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

10. यह कि वाद अवधि मध्य पेश है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी 74 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम रामबिलास का नामातंरण सं0 763 निरस्त किया जाकर वादी का चालू राजस्व रिकॉर्ड मे तनहा खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के शांतीपूर्वक कब्जे काश्त मे दखलंदाजी नही करे। अन्य न्यायोचित सहायता दिलवायी जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये गये नियत को क्रम प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से अभिभाषक एन0के0 शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी क्रम 3 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी क्रम 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी क्रम 4 स्वयं उपस्थित 1 प्रतिवादी क्रम 2 के सम्मन अदम तामील प्राप्त पुनः तलबाना पेश होने पर सम्मन जारी किये नियत तिथि को प्रतिवादी क्रम 2 के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से वकालत नामा एड0 एन0के0 शर्मा ने मय प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 मे इस आशय का प्रस्तुत किया–

1. यह कि उपरोक्त उनवान के प्रकरण मे दिनांक 26.07.12 को प्रार्थीया के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रसारित कर दिये गये है। प्रार्थीया मियादी बुखार से पीडित होने के कारण नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होने मे असमर्थ रही। प्रार्थीया ने जानबुझकर कोई गलती या लापरवाही नही की है। प्रार्थी का उददेश्य प्रकरण को लम्बित करने का नही रहा है। प्रार्थी की अनुपस्थिति परिस्थिति वंश एवं सद्भाविक जन्य है प्रार्थीया विवादित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार एवं कब्जाधारी है। जिसे न्याय हित मे सुना जाना आवश्यक है।
2. यह कि अन्य वजूहात वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया के विरूद्व पारित एक तरफा कार्यवाही के आदेश निरस्त फरमाने की कृपा करे।

3. वादी अधि0 ने प्रार्थना पत्र पर NO OBJCTION कहा प्रतिवादी क्रम 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया प्रतिवादी क्रम 2 के विरूद्व की गयी एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई। प्रतिवादी क्रम 1,2 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया –

1 यह कि मद नं0 1 वाद पत्र मे वर्णित आराजी ग्राम रामबिलास पटवार हल्का छत्रगंज तहसील किशनगंज मे स्थित होना स्वीकार है।

1. यह कि मद नं0 2 वाद पत्र इस प्रकार से स्वीकार है कि विवादग्रस्त आराजी का खातेदार पूर्व मे वादी एवं प्रतिवादी के पिता श्योराम पुत्र लोडूराम था, वादी एवं प्रतिवादीगणों को उक्त आराजी अपने पिता से उत्तराधिकार मे 1/ 4, 1/4 हिस्सा अनुसार प्राप्त हुई है।

2. यह कि मद नं0 2 वादपत्र मे इन्तकाल नं.0 763 पूर्ण रूप से विधिनुसार जॉच पडताल कर जायज वारिसान के पक्ष मे तस्दीक किया गया है। शेष मद स्वीकार है।

3. यह कि मद नं0 3 वाद पत्र इस प्रकार स्वीकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 मीणा जाति के है जो पीढी दर पीढी पूर्वजो के समय से ही हिन्दू विधि से शासित होते चले आ रहे है जिनके समस्त सामाजिक एवं पारिवारिक रिति रिवाज प्राचीन हिन्दू विधि से ही शासित होते है, जिनके पूर्वज हिन्दू उत्तराधिकार 1956 आरम्भ होने से पूर्व से ही प्राचीन हिन्दू विधि को अपनाकर अपने समस्त पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते चले आ रहे है, और हिन्दू उत्तराधिकार 1956 लागू होने के बाद से ही वादी एवं प्रतिवादीगणों के परिवार हिन्दू लॉ के तहत ही अपने समस्त सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते चले आ रहे है हमारे पूर्वज हिन्दू समाज का ही एक अभिन्न अंग है तथा हिन्दू है, जिनके परिवार मे पूर्वजों के समय से ही जन्म मरण,शादी ब्याह उत्तराधिकार एवं अन्य सामाजिक रीति रिवाज भारतीय हिन्दू विधि के तहत की शासित होते चले आ रहे हैं। अस्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के पक्ष मे विवादित आराजी पर इन्तकाल नं0 763 विधि अनुसार राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तस्दीक किया गया है, जिसमे आपत्ति करने का वादी को किसी प्रकार का अधिकार नही है, अस्तु वादपत्र वादी खारिज योग्य है।

4. यह कि मद नं0 4 वाद पत्र अस्वीकार है एवं इस मद का उत्तर विस्तृत रूप से प्रतिवादीगणों द्वारा मद नं0 3 मे दिया जा चूका है, प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 श्योराम की जायज वैधानिक पुत्रीयां है। जो श्योराम की पूश्तैनी आराजी मे वादी के समान ही उत्तराधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है, राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एवं उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रतिवादीगणों को श्योराम की विरासत मे बराबर हिस्सा प्राप्त हुआ है, जिसको निरस्त करवाने का वादी को कानूनी अधिकार नही है, इन्तकाल नं0 763 विधि अनुसार तस्दीक किया गया है, अस्तु वाद पत्र वादी खारिज होने योग्य है।

5. यह कि मद नं0 5 वाद पत्र अस्वीकार है विवादित आराजी के मूल खातेदार श्योराम के फोत होने के बाद से ही प्रतिवादीगणों को उत्तराधिकार मे विवादित आराजी 1/4, 1/4 हिस्सा अनुसार प्राप्त हो चुकी है। जिसे वह अपने अपने हिस्से की आराजी पर मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है, प्रतिवादीगणों के कब्जे काश्त मे वादी को दखलअन्दाजी करने का कानूनी अधिकार नही है, प्रतिवादीगणों ने विवादित आराजी मे सोयाबीन की फसल बो रखी है, जो एक–एक हाथ बडी हो चूकी है, वादी के मन मे बदयान्ती आ जाने के कारण एंव जमीनों की कीमते बढ़ जाने के कारण अब वादी येन केन प्रकरेण प्रतिवादीगणों के खाते की आराजी को हडपने का षडयंत्र रच रहा है और झूठे एवं मनगढन्त तथ्यो के आधार पर प्रतिवादीगणों के विरूद्व निराधार कार्यवाही कर उन्हे हर्जे खर्चे से जैरबार करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी को स्वेच्छानुसार उपयोग उपभोग करने के लिये स्वतंत्र है । खाते से मृतक छोटाबाई पत्नि श्योराम का नाम हटाने मे प्रति0गणों को आपत्ति नही है।

6. यह कि मद नं0 6 वाद पत्र अस्वीकार है।

7. यह कि मद नं0 7 वाद पत्र अस्वीकार है।

8. यह कि मद नं0 8 कानूनी है।

9. यह कि मद नं0 9 कानूनी है।

10. यह कि मद नं0 10 कानूनी है।

प्रार्थना वादी अस्वीकार है।

काउन्टर क्लेम एवं विशेष कथन

1. यह कि ग्राम रामबिलास पटवार हल्का छत्रगंज तहसील किशनगंज मे खाता सं0 नई 91 पुरानी 81 ख0न0 544/ 35 बीघा, ख0न0 545 रकबा 4 बीघा, ख0न0 615 रकबा 0.15 बीघा, ख0न0 631 रकबा 1,02 बीघा , ख0न0 601 रकबा 10.17 बीघा, ख0न0 620 रकबा 3.03 बीघा, ख0न0 671 रकबा 19.01 बीघा कुल 7 किता की 74 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। जिसको काउन्टर क्लेम मे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि उक्त आराजी के मूल खातेदारी श्योराम पुत्र लोडूराम जाति मीणा निवासी रामबिलास थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी वादी हिस्सा 1/5 एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 हिस्सा 1/5 एवं छोटा बाई बेवा श्योराम हिस्सा 1/5 अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हुई, छोटा बाई का देहान्त हो चूका है, जिनका फौती इन्तकाल अभी तस्दीक नही हुआ है, अस्तु यह आराजी अब वादी हिस्सा 1/4, 1/4 राजस्व रिकॉर्ड

मे दर्ज होगी ओर इसी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

3. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगणो का शामलाती खाता होने से आपस मे सीमाबन्दी एवं सिचाई शुल्क को लेकर झगडा होता रहता है प्रतिवादीगण की अपने हिस्से की आराजी का भूसुधार भी नही करवा पा रहे है, न ही ट्यूबवेल लगवा पा रहे है, वादी आये दिन प्रतिवादीगणों को झगडा फसाद व गाली गलोच कर परेशान करता रहता है, जिससे वादी एवं प्रतिवादीगणों को शामलाती रूप से काश्त करना असंभव हो गया है। प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 अपने अपने हिस्से की आराजी को पृथक–पृथक करवा कर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाकर पृथक से लगान तय करवाने की अधिकारिणी है।

4. यह कि प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 2 विवादित आराजी की 1/4 हिस्सा अनुसार सहखातेदार है एवं काबिज काश्त है, जिन्होने अपने हिस्से की आराजी मे सोयाबीन की फसल बो रखी है जो एक हाथ बडी हो चूकी है, वादी झूठी कार्यवाहियां करके प्रतिवादीगणों के खाते की आराजी को हडपने पर आमादा है। एवं सोयाबीन की फसल को जबरन ताकत के बल पर काटकर ले जाने की गांव मे ऐलानियां धमकी दे रहा है। तथा जबरन प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। जिससे प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खातेदारी हक हकूको पर भारी विपरीत प्रभाव पडने की संभावना उत्पन्न हो गई है। व उनके टीनेन्सी अधिकारो पर खतरा उत्पन्न हो गया है। अस्तु प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन दखलअन्दाजी न करने व सोयाबीन की फसल काटकर न ले जाने हेतु वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने की कानूनी रूप से अधिकारिणी व नालिशी है।

5. यह कि काउन्टर क्लेम प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः जवाबवाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर काउन्टर क्लेम प्रतिवादी क्रम 1 व 2 निम्न आशय का सादर डिक्री फरमाया जावे कि–

(1) कि ग्राम रामबिलास पटवार हल्का छत्रगंज की आराजी कुल किता 7 कुल रकबा 74 बीघा। बिस्वा वर्णित मद नं0 1 काउन्टर क्लेम मे से प्रतिवादीगणों का 1/4, 1/4 हिस्सा आराजी अनुसार पृथक किया जाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे एवं पृथक लगान निश्चित किया जावे। एवं उनके हिस्से की आराजी का हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाकर मौके पर बताई जावे।

(2) कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की 1/4, 1/4 हिस्सा आराजी पर वादी को जबरन दखलन्दाजी न करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

(3) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान् उचित समझे प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को वादी से दिलाई जावे।

वादी अधिवक्ता ने जवाब उलजवाब इस आशय का पेश किया कि–

0. यह कि जवाब वाद पत्र की मद अस्वीकार है।

1. यह कि जवाब वाद पत्र की मद नं. 1 अस्वीकार है।

2. यह कि जवाब वाद पत्र की मद नं. 2 अस्वीकार है।

3. यह कि जवाब वाद पत्र की मद नं. 3 अस्वीकार है।

4. यह कि जवाब दावे की मद नं. 4 असत्य होने से अस्वीकार है।

5. यह कि मद नं. 5 जवाब वाद पत्र अस्वीकार है।

6 यह कि जवाब वाद पत्र की मद नं. 7 अस्वीकार है।

7 यह कि मद नं. 8 जवाब वाद पत्र कानूनी होने से स्वीकार है।

8 यह कि मद नं. 9 जवाब वाद पत्र कानूनी होने से स्वीकार है।

9 यह कि मद नं. 10 जवाब वाद पत्र अस्वीकार है।

काउन्टर क्लेम एवं विशेष कथन का जवाब

यह कि वाद पत्र मे जिस प्रकार से वादी ने न्यायालय श्रीमान् से जो डिक्री चाही गई है उसे कानूनन वह प्राप्त करने का अधिकारी है। क्योकि कानूनन मीणा समाज में वारिस के रूप मे अगर मृतक खातेदार के पुत्र है तो उस आराजी मे पुत्रियों का कोई हक नही बनता है। ऐसी स्थिति मे जब मृतक के पुत्र न हो तक ही पुत्रीयों का अधिकार जमीन मे बनता है। वाद पत्र मे जो वाद पत्र प्रस्तुत किया है वाद मृतक श्री श्योराम जी का स्वयं का उनके नुक्ते से उत्पन्न हुआ पुत्र है जो उनकी जमीन का एक मात्र हकदार है। प्रतिवादीया क्रम 1,2 व 3 का नाम कर्मचारियों की मिलीभगत से खाते मे दर्ज हो गया है। जबकि मृतक खातेदार श्री श्योराम जी की पूरी जमीन प्रार्थी के कब्जे काश्त मे है, जिसका सम्पूर्ण वर्णन वाद पत्र की मद नं0 1 मे उल्लेखित है।

अतः वादी की और से काउन्टर क्लेम पेश कर प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण 1 ता 3 का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे।

तनकी इस आशय की कायम की गई।

1. आया वादपत्र में अंकित विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 की पुश्तैनी आराजी है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 जाति से मीणा है जो कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान हम पर लागू नही होते। इस प्रकार वादी वाद पत्र मे वर्णित सम्पूर्ण विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार घोषित कराने का अधिकार है।

(भा0स0 वादी)

2. आया विवादित आराजी के सम्बन्ध मे तस्दीक किया गया नामान्तरण सं0 763 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के प्रतिकूल होने के कारण नल एण्ड वोइड है। जिसे वादी निरस्त कराने का अधिकारी है।

(भा0स0 वादी)

3. आया वादी वाद पत्र मे वर्णित विवादित आराजी पर शांती पूर्वक काबिज काश्त है। अतः प्रतिवादीगण 1 ता 3 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा सकने का अधिकारी है।

(भा0स0 वादी)

4. आया वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 मीणा जाति के है जो पीढी दर पीढी पूर्वजो के समय से ही हिन्दू विधि से शासित होते चले आ रहे है। अतः हम पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है।

(भा0स0 प्रतिवादी क्रम 1 व 2)

5. आया विवादित आराजी के सम्बन्ध मे नामातरण सं. 763 हिन्दू विधि के अनुरूप ही जॉच कर तस्दीक किया गया है। वादी इसे निरस्त कराने का अधिकारी नही है।

(भा0स0 प्रतिवादी क्रम 1 व 2)

6. आया वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 विवादित आराजी मे प्रत्येक का हिस्सा 1/4 के सहखातेदार है। अतः अपना खाता पृथक कराने एवं विवादित आराजी का विभाजन कराने का अधिकारी है।

(भा0स0 प्रतिवादी क्रम 1 व 2)

7. अनुतोष

तनकी वार विश्लेषण इस प्रकार है–

1. इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादी इसमे अपने साक्ष्यो से अपने पक्ष मे सिद्व करवाने मे सफल रहा है अतः उक्त तनकी वादी पक्ष मे सिद्व की जाती है।

2. इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था वादी अपने जिरह से इसको अपने पक्ष मे करवाने मे सफल रहा है अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष मे सिद्व की जाती है।

3. इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था उक्त तनकी के पक्ष मे वादी ने साक्ष्य पेश किये जिससे उक्त तनकी वादी के पक्ष मे सिद्व करवाने मे सफल रहे है।

4. इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी क्रम 1,2 पर था। इसको सिद्व करवाने मे प्रतिवादी गण कोई साक्ष्य पेश नही कर सके अतः प्रतिवादीगण के विफल उक्त तनकी सिद्व की जाती है।

5. इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी क्रम 1, 2 पर था प्रतिवादीगण हिन्दू दिवस अधिनियम से सिद्व करवाने मे असफल रहे अतः उक्त तनकी प्रतिवादी क्रम 1,2 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

6. उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी क्रम 1,2 पर था उक्त प्रतिवादीगण द्वारा परा समर्थन मे कोई साक्ष्य पेश नही किया है अतः तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

वादी अधिवक्ता ने साक्ष्यवादी मे PW-1 औमप्रकाश PW-2 राधेश्याम PW-3 रामदयाल के बयान लेखबद्व करवाये गये दौराने साक्ष्य PW-1 ओमप्रकाश ने जाहिर किया कि वादी अधिवक्ता और साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधिवक्ता की साक्ष्यवादी बन्द की गई। वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी क्रम 3 के फोत होना जाहिर किया वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी क्रम 3 के कायम मुकाम बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया नकल प्रतिवादी अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सूनी गई वादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी क्रम 3 के कायम मुकामान रिकॉर्ड पर किये गये। प्रतिवादी अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रतिवादी मे DW-1 कमला DW2 रामसिंह के बयान लेखबद्व करवाये गये दौराने बयान DW1 कमला ने जाहिर किया ।

विवादित आराजी मेरे पिता के खाते की है। मेरे पिता का नाम श्योराम है। मेरे पिता के दो पत्नियॉ थी। एक मॉ के हम दो बहिने व एक भाई था, यह शादी वाली पत्नी थी, जो मर चूका हैं। उसका नाम जगन्नाथ था। फिर दूसरी पत्नी नही लाये उसके एक लडका राधेश्याम व द्रोपदी बाई पैदा हुये द्रोपदी बाई की फौत हो चुकी है। जिसके कायम मुकामान रिकॉर्ड मे मौजूद है। यह जमीन 74 बीघा के करीब है। जिसके हम चारो भाई–बहिन राधेश्याम, कमला बाई, कन्या बाई, द्रोपदी बाई रिकॉर्ड खातेदार है। इस जमीन को पूरी को राधेश्याम व उसका लडका काश्त कर रहा है। मुझे हिस्सा नही दे रहा, राधेश्याम जबरदस्ती काश्त कर रहा है। मेरा हिस्सा 1/4 जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। जो पृथक किया जाकर मुझे कब्जा समलाया जावे।

जिरह वकील प्रतिवादी

मेरे पिता को मरे हुये 30 वर्ष हो गये है। मेरे बाप के मरने के बाद कभी काश्त नही की है। मेरा ससुराल छतरगंज है । अभी मे छतरगंज रहती हूँ।

प्रतिवादी अधिवक्ता और साक्ष्य पेश नही करना चाहते प्रतिवादी अधि0. की साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित नही आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नही । अतः प्रतिवादी क्रम 1, 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी अधि0 की एक पक्षीय बहस सूनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र मे अंकित बिन्दूओं को दोहराया एवं निवेदन किया कि इन्तकाल 4763 निरस्त किया जावे वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मीणा आदिवासी समुदाय मे होने से मीणा समुदाय मे लडकी को भूमि के कोई अधिकार नही होगे वादी अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के केस मधु किशवार वगै0 बनाम स्टेट ऑफ बिहार वगै0 ((1996) 5SCC 125(AIR 1996 SC 1864), after noticing sub-section (2) of Section 2 of Act of 1956,:-,एवं Hindu Woman rights to property Act, 1937 are over- ridden by the provisions of Hindu Succession Act, 1956 but that is certainly so far s those Hindus to whom the privisons of Hindu Succession Act,1956 apply but not for those to whom the provisions of the Hindu Succession Act,1956 do not at all apply. When the Act overrides an earlier Act and that very Act does not apply to members of a particular Tribe to whom that earlier Act was applicable. पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय की निर्णय पारीत किया जाता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

कि वाकेग्राम रामबिलास के नामान्तरण सं0 769 निरस्त किया जाकर वाकेग्राम रामबिलास पटवार हल्का छत्रगंज तहसील किशनगंज मे खाता सं0 नई 91 पुरानी 81 ख0न0 544/ 35 बीघा, ख0न0 545 रकबा 4 बीघा, ख0न0 615 रकबा 0.15 बीघा, ख0न0 631 रकबा 1,02 बीघा , ख0न0 601 रकबा 10.17 बीघा, ख0न0 620 रकबा 3.03 बीघा, ख0न0 671 रकबा 19.01 बीघा कुल 7 किता की 74 बीघा 01 बिस्वा आराजी का वादी राधेश्याम पुत्र श्योराम जाति मीणा को खातेदार घोषित किया जाता है। निर्णयानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2019.11.04 18:04:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: